मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 1230-1102-1-3-65 भोपाल, दिनांक 17 जून 1965—ज्येष्ठ 27, 1887.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग.

विषय.—अनुशासन संबंधी मामलों में लोक सेवा आयोग की राय.

सन्दर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1839-2705-1-1-62, दिनांक 31 मई, 1963.

सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन की कंडिका 8 के अनुसार उन अनुशासन संबंधी मामलों में जिनमें लोक सेवा आयोग की राय ली गई हो, आयोग का वह पत्र जिसके द्वारा आयोग ने अपने निष्कर्ष से शासन को सूचित किया हो, विभागीय जांच के रेकार्ड का भाग होगा और संबंधित कर्मचारी को उक्त निष्कर्ष से अवगत कराया जायेगा.

अनुशासन संबंधी मामलों में यह आवश्यक है कि कर्मचारी को न्याय मिले और उसे अपनी स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो. अतः आयोग के पत्र की एक प्रति उस कर्मचारी को देनी आवश्यक है जिसे सजा दी जानी है. इस पत्र की प्रति देने में किसी प्रकार की असावधानी या गलती न हो इस बात को ध्यान में रखते हुये, आयोग से परामर्श कर, यह तय किया गया है कि सभी अनुशासन संबंधी मामलों में जिसमें आयोग से राय ली गई हो, आयोग अपने निष्कर्ष के पत्र की दो अतिरिक्त प्रतियां शासन को भेजेगा. इन अतिरिक्त प्रतियों में से ही एक प्रति संबंधित कर्मचारी को विभाग द्वारा दी जानी चाहिये.

हस्ता./-
(जगत स्वरूप)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.